भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1890
02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य व्यापार संचालक

1890. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य व्यापार संचालकों को अपनी वेबसाइटों पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या लाइसेंस प्राप्त स्वामित्व वाले खाद्य पदार्थों, जो डेयरी-आधारित, अनाज-आधारित और माल्ट-आधारित पेय मिश्रण हैं, को स्वास्थ्य या ऊर्जा पेय की श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने के मामले एफएसएसएआई के संज्ञान में लाए गए हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित अधिदेश के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के भंडारण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य व्यापार को विनियमित करने के लिए नियम बनाए हैं। ये नियम 'ई-कॉमर्स खाद्य व्यापार संचालक के लाइसेंसिंग' के प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं। इसके अलावा उक्त नियमों में यह भी प्रावधान है कि ई-कॉमर्स खाद्य व्यापार संचालक (एफबीओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पाद के बारे में कोई भ्रामक जानकारी/झूठे दावे या खाद्य उत्पादों की भ्रामक छवियां उनके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं कराई जाएं या दिखाई न जाएं। तदनुसार, ई-कॉमर्स खाद्य व्यापार संचालकों (एफबीओ) को उपभोक्ताओं को गुमराह करने से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं के उचित वर्गीकरण सहित अधिनियम और विनियमों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ): एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक्स/एनर्जी ड्रिंक्स' के वर्गीकरण के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए दिनांक 28-03-2024 को एक परामर्शिका जारी की है। सभी ई-कॉमर्स एफबीओ को सलाह दी गई है कि वे एफएसएस अधिनियम, 2006 के दायरे में आने वाले ऐसे पेय/पेय पदार्थों को अपनी वेबसाइट पर 'हेल्थ ड्रिंक्स/एनर्जी ड्रिंक्स' की श्रेणी से हटा दें/डी-लिंक कर दें और ऐसे उत्पादों को मौजूदा कानून के तहत उचित श्रेणी में रखें।

******